राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक :- एफ2(8)/नि.प्र./2016-17/218 दिनांक :- 16/8/16

-:कार्यालय आदेश:-

मण्डल के पूर्व प्रसारित कार्यालय आदेश क्रमांक 105 दिनांक 08.06.16 से स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा किये गये अंकेक्षण कार्य हेतु अंकेक्षण शुल्क के भुगतान योग्य राशि में अंकेक्षण अवधि कार्य दिवसों के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाशों के भुगतान को वित्त विभाग के मार्ग दर्शन आने तक, माननीय अध्यक्ष एवं आवासन आयुक्त, आवासन मण्डल के निर्देशानुसार रोका गया था।

वित्त विभाग के पत्र क्रमांक 98 दिनांक 11.07.16 में अंकेक्षण कार्य दिवसों के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश के दिनों का भुगतान किये जाने हेतु लेख किया गया है।

अतः वित्त विभाग के निर्देश के अनुसरण व माननीय अध्यक्ष एवं आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल के अनुमोदन पश्चात् स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा किये गये अंकेक्षण कार्य दिवसों के मध्य पडने वाले सार्वजनिक अवकाशों के भुगतान करने की अनुमति, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के पत्र क्रमांक 10068-74 दिनांक 05.08.05 व वित्त विभाग राजस्थान सरकार की आज्ञा क्रमांक प.10(10)अंकेक्षण/98 दिनांक 01.08.2011 की पालना सुनिश्चित करते हुए प्रदान की जाती है।

वित्तीय सलाहकार

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष एवं आवासन आयुक्त, मुख्य अभियन्ता प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता I/III, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता II राजस्थान आवासन मण्डल,जोधपुर।
6. उप वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. समस्त उप आवासन आयुक्त, वृत्त .... राजस्थान आवासन मण्डल, ...
8. समस्त आवासीय अभियन्ता, खण्ड .... राजस्थान आवासन मण्डल, ...
9. संयुक्त निदेशक, कम्प्यूटर राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को वेबसाईट पर अपलोड़ करने के लिये प्रेषित है।
10. लेखाधिकारी भुगतान/संकलन, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
11. मास्टर फाईल

वित्तीय सलाहकार